सीएसआईआर-केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी (राजस्थान) 333031
CSIR-Central Electronics Engineering Research Institute, Pilani (Raj.) 333031

सं. No. : 35/2/2020-रा.भा. दिनांक/Dated - 21.03.2025

कार्यालय ज्ञापन / Office Memorandum

विषय : संस्थान में संघ की राजभाषा नीति का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करना।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में संस्थान में राजभाषा गतिविधियों एवं कार्यान्वयन की समीक्षा के दौरान **निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति** द्वारा संघ की राजभाषा नीति के सम्यक अनुपालन पर बल दिया जाता है। इस संबंध में समय-समय पर परिषद मुख्यालय से भी दिशानिर्देश प्राप्त होते रहते हैं। अत: सभी विभागाध्यक्ष/समूह प्रमुख/शोध एवं विकास यूनिट प्रमुख (R&D Unit Heads) संस्थान में निम्नलिखित मदों का अनुपालन सुनिश्चित करें :

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से हिंदी/द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) रूप में जारी किए जाएँ।
2. सभी अधिकारी मूल हिंदी पत्राचार की संख्या में वृद्धि सुनिश्चित करें।
3. 'क' तथा 'ख' क्षेत्र से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर भी हिंदी में दिए जाएँ। पत्राचार में सामान्य पत्रों के अलावा फैक्स एवं ई-मेल भी शामिल हैं।
4. प्रशासनिक अनुभागों के साथ-साथ तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुभाग/समूह/प्रभाग भी सामान्य एवं दैनिक कार्यों से संबंधित कार्यालयी टिप्पणियाँ यथासंभव हिंदी में लिखें।
5. अपने ई-मेल हस्ताक्षर द्विभाषी रूप में तैयार करें।
6. सभी कंप्यूटरों पर यूनिकोड/हिंदी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध हो।
7. राजभाषा तिमाही प्रगति रिपोर्ट संबंधी आंकड़ों का उचित रिकार्ड रखें।

राजभाषा अधिनियमों एवं नियमों तथा संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी की सामूहिक एवं व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। माननीय संसदीय समिति संघ की राजभाषा नीति संबंधी दिशानिर्देशों की अवहेलना को गंभीरतापूर्वक लेती है। पुनश्च, सभी सहकर्मी संस्थान में राजभाषा अधिनियमों/नियमों एवं संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करें।

जय शंकर 21/03/2025

(जय शंकर शरण / J S Sharan)
प्रशासन नियंत्रक / Controller of Administration

प्रतिलिपि / Copy to:-

1. निदेशक कार्यालय /Director's Secretariat
2. प्रशासन नियंत्रक / CoA
3. सभी विभागाध्यक्ष/समूह प्रमुख All HoDs/Group Leaders
4. प्रभारी, एआईटीजी - वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु / Head, AITG - To upload on the website.
5. सूचना पट्ट / Notice Board(s)